

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 27th June, 2018.

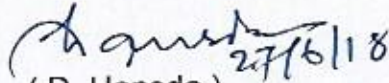
ALL CONCERNED

Sub: Status of Indian Powerlifting Federation (IPF)

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG dated 31/05/2018 (RBE No.76/2018) (Clarification/Corrigendum No.92) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Board's earlier letter dated 31/12/2010, as referred in Board's present letter, was communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial Nos. 05/2011.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.


(D. Hansda)

Sr. Personnel Officer/ RP
for Principal Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG dated 31/05/2018 (RBE No.76/2018) (Clarification/Corrigendum No.92) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

Re: Status of Indian Powerlifting Federation (IPF).
Board's letter no. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 1898/2010)
and clarifications/ corrigendum issued thereto.

At present there are two factions of Indian Powerlifting Federation (IPF), none of which is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

In view of above, it has been decided that the sports achievements in the event conducted by Indian Powerlifting Federation (IPF) or its affiliated units after 03.10.2017, shall not be considered for recruitment, incentives and all other establishment matters, till further order. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievement in the game of ~~powerlifting~~ ^{Powerlifting} will be permissible for said purpose.


(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

1000 26-51

आरबीई सं. 76 /2018
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 92

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएलजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018

महाप्रबंधक (पी)

सभी क्षेत्रीय रेलों सहित
चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., आरसीएफ, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/ कोलकाता
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ

विषय: इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) की स्थिति।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)
(आरबीई सं. 189बी/2010) तथा इस संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

इस समय इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) के दो गुट हैं, जिनमें से किसी भी गुट को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि 03.10.2017 के पश्चात् इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में खेलकूद उपलब्धियों पर भर्ती, प्रोत्साहन तथा स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों पर अगले आदेश होने तक विचार नहीं किया जाएगा। बहरहाल, पावरलिफ्टिंग के खेल में मान्यताप्राप्त खेलकूद उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा अन्तरराष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए अनुमोदित होंगे।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक/स्था. (खेलकूद)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएलजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाईज एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाईज एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव रेलवे बोर्ड